R 507-I/15

B.g.R.

15 FEB 2015

178

17-02-15

राजस्व मण्डल ग्वालियर (मण्डल म्पाग)

न्यायालय श्रीमान् ~~जिला कलेक्टर~~ महोदय, सागर जिला सागर (म.प्र.)

==

(1)-श्री बैजनाथ प्रसाद आयु 69 वर्ष, आत्मज श्री मौजी लाल अवस्थी, पेशा काश्तकारी, पंडिताई, निवासी ग्राम बरोदिया नोनगर, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.)--

पुनरीक्षण याचिका कर्ता

विरुद्ध

(1)-श्री राजू आयु 44 वर्ष, (तीनों का पेशा काश्तकारी ~~अवस्थी~~
(2)-श्रीमुन्ना आयु 57 वर्ष (तीनों आत्मज स्वर्गीय श्री राम-
(3)- श्रीपप्पू आयु 39 वर्ष (दयाल अवस्थी
(4)- श्रीमती शीलरानी आयु 64 वर्ष विधवा पत्नी स्वर्गीय श्री रामदयाल अवस्थी

सभी का पेशा काश्तकारी, सभी निवासी ग्राम बरोदिया नोनगर, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.)

--- प्रति-याचिका कर्ता

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

==

~~~~~~~~~~ पुनरीक्षण याचिका कर्ता के विरुद्ध प्रतियाचिका कर्ता गण ने नामान्तरण हेतु आवेदन विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय खुरई के न्यायालय में लगाया जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक:-11-अ/6 वर्ष 2011-12 है जिसमें याचिका कर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक:-27-2-2012 याचिका कर्ता के विरुद्ध पारित किया गया, जिसकी जानकारी होने पर तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर प्रथम अपील सक्षम अधिकारी श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, खुरई के न्यायालय में म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र के साथ दिनांक:-3-10-2013 को प्रस्तुत की गई, जिसमें भी कोई आदेश गुण दोष पर सुनवाई कर नहीं किया गया वरन् श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय

श्री राजेश तिवारी ... मार्ग ...
कार्यालय ..., सागर (म.प्र.)
~~~~~~~~~~

R 1/15 बैजनाथ / राजू सागर (8)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
4-3-15 सागर कैम्प	आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उप० उन्होंने उपस्थित होकर बताया कि प्रकरण भूलवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है, सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण वापिस करने का निवेदन किया गया। निवेदन स्वीकार। प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है। [signature] प्रशा० सदस्य	[signature] 4/3/15

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.